कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8789/628–29 दिनांकः 10–5–19

सेवा में

1. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला ।
2. वन मण्डल अधिकारी, मोरनी–पिंजौर ।

विषयः Diversion of 0.0031 ha. of forest land for access to Kaiser Life API/Bulk Drugs along Bunga-Dabkauri road, R/side, at Village Dabkauri, under forest division Morni-Pinjore and District Panchkula, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Road/29837/2017
संदर्भः वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला का पत्र क्रमांक 157 दिनांक 25–4–2019 ।

—

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियॉ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना सम्बन्धित प्रपत्रों की एक–एक प्रति सहित तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके :–

1. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) का एन0ओ0सी0 नहीं है । प्रयोक्ता एजैन्सी से लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) द्वारा जारी एन0ओ0सी0 की प्रति प्राप्त करके भेजी जाए । प्रस्ताव के साथ भेजे गए Executive Engineer, Provl. Divn. Hr., PWD B&R Panchkula के पत्र क्रमांक 3987 दिनांक 22–11–2017 द्वारा pharmaceutical unit लगाने के लिए एन0ओ0सी0 जारी की हुई है । यह सड़क से रास्ते के लिए अनुमति नहीं है ।
2. सी0ए0 साईट की के0एम0एल0 फाईल में वन क्षेत्र ठीक से नहीं दर्शाया गया है । सी0ए0 साईट "Nandla PF" की के0एम0एल0 फाईल व डी0जी0पी0एस0 मैप तैयार करके आपको ई–मेल दिनांक 30–4–2019 (at 12.30 PM) के माध्यम से भेजे हुए हैं । कृपया सी0ए0 साईट की यह के0एम0एल0 फाईल व डी0जी0पी0एस0 मैप ऑनलाईन फार्म–ए पार्ट–II के कालम 13 (i) व 13 (iii) पर अपलोड किए जाएं व डी0जी0पी0एस0 मैप की हस्ताक्षरित प्रति इस कार्यालय को भेजें ।
3. सी0ए0स्कीम में सी0ए0 के तहत 50 पौधे लगाने के लिए राशि शामिल की हुई है जबकि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी Handbook of guidelines-2019 के पार्ट–बी चैप्टर–2 की क्रम संख्या 2.6 के अनुसार सी0ए0 के तहत कम से कम 100 पौधे लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम बनाई जानी अनिवार्य है । कृपया तदानुसार संशोधित सी0ए0 स्कीम व 100 पौधों के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः तैयार करके भेजें ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।

पृ0क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8789/630 दिनांकः 10–5–19

एक प्रति प्रयोक्ता एजैन्सी (Kaiser Life # 113, HIG PUDA House, Sector 48-C, Mohali, Punjab) को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।